बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–02/टैक्स (ट्रैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42/2012 परि0 1674 पटना, दिनांक– 08.03.18

ई–मेल/ निबंधित

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से0
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार ।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार ।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।
सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार ।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार ।
राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, बिहार, पटना ।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार ।
सभी प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार।

विषय :– व्यवसायिक/मालवाहक वाहन तथा ट्रैक्टर–ट्रेलर को पूर्व में दिये गये सर्वक्षमा योजना के अवधि विस्तार से संबंधित अधिसूचना का संसूचन !

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कर–प्रमादी निबंधित/अनिबंधित व्यवसायिक/मालवाहक वाहन तथा कृषि/व्यवसायिक कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर–ट्रेलर को अधिसूचना संख्या–3481, दिनांक–05.07.2017 द्वारा पूर्व में दिये गये सर्वक्षमा के अवधि विस्तार से संबंधित बिहार गजट (असाधारण अंक) की **अधिसूचना सं0–1663, दिनांक–08 मार्च, 2018** की प्रति संलग्न करते हुए आपके सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे इस अधिसूचना का अधिकतम प्रचार–प्रसार करें ताकि इसका लाभ अधिकतम वाहन स्वामी प्राप्त कर सकें।

राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, बिहार, पटना से अनुरोध है कि उपर्युक्त संशोधन के आलोक में अविलंब प्रयुक्त सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने की कृपा करें।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
8/3
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 फाल्गुन 1939 (श0)

(सं0 पटना 194) पटना, वृहस्पतिवार 8 मार्च 2018

परिवहन विभाग

अधिसूचना

8 मार्च 2018

सं० 02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012-1663/परि0—बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 की उप-धारा (7) सहपठित धारा-15 की उप-धारा (1) एवं धारा-23 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-3481, दिनांक 05.07.2017, जो कर-प्रभार्य निबंधित/अनिबंधित व्यावसायिक/मालवाहक वाहन तथा कृषि/व्यवसायिक कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर-ट्रेलर के वाहन स्वामियों को सर्वक्षमा (Amnesty) दिये जाने से संबंधित थी, जो दिनांक 05.07.2017 से छः माह की अवधि तक अर्थात् दिनांक 04.01.2018 तक प्रभावी था, को जनहित में पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार दिनांक 30.06.2018 तक विस्तारित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

The 8th March 2018

No. 02/Tax(Tractor-trailer amnesty)-42/2012-1663—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section-7 readwith sub-section (1) of section-15 and proviso to section-23 of the Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994, amnesty to the vehicle owners of tax defaulter registered/unregistered commercial/Goods carriage vehicle and Tractor-trailers, used in agricultural/commercial activities, granted by the State Government vide departmental notification no.-3481, dated-05.07.2017 which was effective up to the period of six month that is to say up to 04.01.2018 from dated-05.07.2017 is hereby extended up to 30.06.2018 in the public interest subject to the conditions determined earlier.

2. This notification shall be effective from the date of its publication in the official gazette.

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR AGARWAL,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 194-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in